संख्या-19/2026/ 407/001-53-2002-001-9-2022

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,

नन्द बाबा दुग्ध मिशन,

उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 **लखनऊ : दिनांक 25-06-2026**

विषयः- नन्द बाबा दुग्ध मिशन की वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष राजस्व मद (अनुदान संख्या-16) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-67/नन्द बाबा दुग्ध मिशन/बजट(21)/2026-27, दिनांक 10 जून, 2026 एवं पत्रांक- 89/एसपीएसयू/लेखा(21)/2025-26 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नन्द बाबा दुग्ध मिशन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व मद अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-12-नन्द बाबा दुग्ध मिशन-20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 20500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 5125.00 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम, शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत योजनाओं के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का आकलन, निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप, मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा किया जायेगा। योजनावार एवं जनपदवार चयनित/ अनुदान प्राप्त कर चुके लाभार्थियों के आधार व मोबाइल के ऑकड़ों को संकलित किया जायगा, जिससे लाभार्थियों की द्विरावृत्ति न हो।

2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

3. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5. आंकडों की शुद्धता का दायित्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 का होगा।

6. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये।

8. बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

9. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

13. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 द्वारा स्टेट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

14. अवमुक्त की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो, तो मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा उक्त ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की छायाप्रति शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगी ।

15. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कर लिया जायेगा ।

16. मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 51,25,00,000 (रुपये इक्यावन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021200 नन्द बाबा दुग्ध मिशन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या-19/2026/ 407(1)/001-53-2002-001-9-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखापरीक्षा(प्रथम), प्रयागराज, उ0प्र0।

4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।

5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0 शासन।

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामबूझ
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।